अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक 03/ऊ०(यो०)08/15.............

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेषक,

एस०के०जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

दिनांक ....

विषय :- गिरीडीह ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित गिरीडीह–जसीडीह संचरण लाईन के निर्माण से संबंधित रु० 127.00 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंधित राशि रु० 595.00 करोड़ के विरूद्ध उक्त योजना हेतु रु० 13.00 करोड़ ऋण स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत ।

राज्य की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निमित विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है, फिर भी मजबूत नेटवर्क के अभाव में जनता को समुचित एवं अबाधित विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ।

2. मुख्य अभियंता (संचरण), झा०ऊ०सं०नि०लि० के पत्रांक 126, दि० 26.02.15 एवं पत्रांक 165, दि० 13.03.15 द्वारा गिरीडीह ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित गिरीडीह–जसीडीह संचरण लाईन के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन, निदेशक मंडल में प्रस्तुत एजेंडा की प्रति एवं निदेशक मंडल द्वारा इसकी स्वीकृति उपलब्ध कराते हुए निम्न योजना हेतु रु० 127.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं पत्रांक 260, दि० 29.04.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु रु० 13.00 करोड़ विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है :–

क्र०	योजना का नाम	अनुमोदित राशि
1.	220/132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन गिरीडीह का निर्माण	रु० 68.50 करोड़
2.	220 के०वी० गिरीडीह–जसीडीह संचरण लाईन	रु० 58.50 करोड़
	कुल	**रु० 127.00 करोड़**

3. उल्लेखनीय है कि प्राप्त डी०पी०आर० एवं तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार योजना की राशि क्रमशः रु० 67,19,14,699.85 एवं रु० 58,55,95,312.80 अर्थात कुल रु० 1,25,75,10,012.65 है । किन्तु प्राप्त पत्र में यह अंकित है कि डी०पी०आर० में मुल्य विचलन, मात्रा विचलन, वन विभाग को भूमि एवं वृक्ष कटाई के क्षतिपूर्ति का भुगतान, Right of way इत्यादि के विरूद्ध Cost involvement को समायोजित नहीं किया गया है । अतः इन्हें ध्यान में रखकर ग्रिड के लिए रु० 68.50 करोड़ एवं संचरण लाईन के

निदेशक (परियोजना) (झा.ऊ.सं.नि.लि.) प्रकोष्ठ
प्राप्ति/प्रेषण संख्या 1959
दिनांक 08/09/15

Scanned by CamScanner

लिए रु० 58.50 करोड़ अर्थात कुल रु० 127.00 करोड़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृ... झा०ऊ०सं०नि०लि० के निदेशक मंडल की बैठक दि० 19.06.2014 में ली गयी है ।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक 12069 दि० 17.08.15 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25.08.15 में मद सं० 02 में लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंधित राशि रु० 595.00 करोड़ के विरूद्ध उक्त योजना हेतु रु० 13.00 करोड़ (तेरह करोड़) झा०ऊ०सं०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5. उक्त स्वीकृत राशि निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी :–

क्र०	बजटशीर्ष	राशि
1	मुख्य शीर्ष–6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–37–झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–63–ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10पी680100789370763	रु० 1,56,00,000.00 (एक करोड़ छप्पन लाख)
2	मुख्य शीर्ष–6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–37–झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–63–ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10पी680100796370763	रु० 3,38,00,000.00 (तीन करोड़ अड़तीस लाख)
3	मुख्य शीर्ष–6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष–800–विद्युत बोर्डो के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष–37–झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–63–ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10पी680100800370763	रु० 8,06,00,000.00 (आठ करोड़ छः लाख)
	कुल	रु० 13,00,00,000.00 (तेरह करोड़)

6. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को दिये जाने वाली ऋण की शर्ते निम्न प्रकार होंगी:–
   (क) ऋण का पुनः भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी एवं तदनुसार अन्य किस्तों की अदायगी प्रत्येक वर्ष होगी।
   (ख) इस ऋण पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा ।
   (ग) समय पर भुगतान करने पर 1/4 प्रतिशत की छूट देय होगा ।
   (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा ।

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे । राशि का विकलन सचिवालय कोषागार, डोरंडा, रॉची से किया जाएगा तथा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पी०एल० खाता में जमा किया जाएगा ।

8. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा निम्न शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा :–
   i) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
   ii) योजना का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

...wJHKOy99x5-SIGzz4N4EyaAZC8A 1/1
Scanned by CamScanner

iii) अंकेक्षण हेतु लेखा संबंधी कागजात एवं विवरणी का संधारण ससमय करेंगे ।

iv) राशि की निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2003, वित्त विभाग के पत्रांक 2247, दि० 12.04.2002, कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

v) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण नहीं हो रहा हो । साथ ही, इस योजनान्तर्गत राशि किसी अन्य शीर्ष से व्यय नहीं की जा रही हो ।

9. अनुरोध है कि अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पदनाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव।

गोपनीय मुहरबंद

ज्ञापांक : 03/ऊ०(यो०)08/15.................. दिनांक : ....

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 03/ऊ०(यो०)08/15.................. दिनांक : ....

प्रतिलिपि – आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 03/ऊ०(यो०)08/15 94 दिनांक : 02/09/15

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि०, राँची/उपायुक्त–राँची/अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा के आप्त सचिव/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/15

सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned by CamScanner